

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ 28(1)पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./से.नि./2016/ 1221 जयपुर, दिनांक: 17/03/16

:- आ दे श :-

निम्न कार्मिक पंचायत प्रसार अधिकारियों के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	वर्तमान पस्थापित स्थान	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री अरविन्द कुमार पारीक	पं.स. फागी (जयपुर)	31.07.2016
2	श्री मूरली मनोहर शर्मा	पं.स. सादुलशहर (श्रीगंगानगर)	31.03.2016

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शंखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर/श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारियों का विभागीय जॉच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अतः कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस विभाग को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. विकास अधिकारी, पं.स. फागी (जयपुर)/ सादुलशहर (श्रीगंगानगर)
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त